पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

रीना मिश्रा

बनाम

बिहार राज्य

2015 का आपराधिक विविध सं. 42370

08 अप्रैल 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या बिक्री के करार के कथित उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध का संज्ञान लेने वाला आदेश रद्द किया जा सकता है या नहीं?

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973---धारा 482---भारतीय दंड संहिता---धारा 420---आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए याचिका जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता है---याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने ओ.पी. को एक अचल संपत्ति की बिक्री के लिए एक समझौते के अनुसरण में 15 लाख रुपये नकद भुगतान करने के लिए बेईमानी से प्रेरित करके धोखा दिया, लेकिन बिक्री विलेख कभी निष्पादित नहीं किया।

निर्णय: याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त की गई निश्चित प्रतिफल राशि का एक हिस्सा याचिकाकर्ताओं द्वारा ओ.पी. सं. 2 को वापस कर दिया गया था, इसलिए, ये तथ्य कथित लेनदेन की शुरुआत से याचिकाकर्ताओं की ओर से बेईमानी का इरादा नहीं दिखाते हैं यदि ओ.पी. सं. 2 की कहानी पर विश्वास किया जाए --- कथित समझौते के संबंध में ओ.पी. सं. 2 द्वारा अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के

लिए एक मुकदमा दायर किया गया है --- केवल इसलिए कि बिक्री के लिए कथित समझौते के परिणामस्वरूप बिक्री के माध्यम से कथित संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने ओ.पी. सं. 2 को धोखा दिया है, इसलिए, आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होता है --- कथित अपराध के लिए याचिकाकर्ताओं को मुकदमे के अधीन करना याचिकाकर्ताओं के लिए पूर्ण उत्पीड़न होगा और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी होगा --- याचिकाकर्ताओं की ओर से एक मात्र दीवानी गलत कार्रवाई आकर्षित हो सकती है भले ही ओ.पी. सं. 2 द्वारा सुनाई गई पूरी कहानी सत्य हो। सत्य माना गया---आलोचना आदेश रद्द किया गया---याचिका स्वीकार की गई। (पैरा 5)

न्याय दृष्टान्त

XXX

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 --- धारा 482 --- भारतीय दंड संहिता --- धारा 420

मुख्य शब्दों की सूची

रद्द करना---धोखाधड़ी---बिक्री के समझौते का उल्लंघन---दीवानी गलती---आपराधिक कार्यवाही---न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग।

प्रकरण से उत्पन्न

परिवाद संख्या 9955/2014/1516/2014 से उत्पन्न परीक्षण संख्या 1191/2015 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी की अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2015

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता; श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता; श्री रवि रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री सुरेश प्रसाद सिंह, एपीपी

ओपी नंबर 2 के लिए: श्री अमलेंदु शेखर ठाकुर, अधिवक्ता; श्री राम प्रवेश कुमार, अधिवक्ता; श्री शिवेंदु हरिहर, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गयाः घनश्याम, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का आपराधिक विविध सं.42370

थाना कांड संख्या-9955 वर्ष-2014 थाना-मधुबनी शिकायत मामला जिला-मधुबनी से उत्पन्न

==========

1. रीना मिश्रा, पत्नी- डॉ. रुद्र नंद मिश्रा

2. डॉ. रुद्र नंद मिश्रा, पुत्र- स्वर्गीय वाचस्पति मिश्रा, दोनों निवासी- पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, थाना- सराइधेला, जिला- धनबाद

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य

2. मनोज कुमार झा, पुत्र- श्री राम सुंदर झा, निवासी- मोहल्ला- सूरतगंज, वार्ड स. 17, थाना- टाउन, जिला- मधुबनी।

..... विपक्षी/गण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
श्री रवि रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सुरेश प्रसाद सिंह, अपर लोक अभियोजक
विपक्षी सं.2 के लिए : श्री अमलेंदु शेखर ठाकुर, अधिवक्ता
श्री राम प्रवेश कुमार, अधिवक्ता
श्री शिवेंदु हरिहर, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

दिनांक : 08-04-2025

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री अजय कुमार ठाकुर, विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता, श्री अमलेंदु शेखर ठाकुर और राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक ,श्री सुरेश प्रसाद सिंह को सुना ।

2. वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जो शिकायत वाद संख्या 9955/2014/1516/2014 से उत्पन्न ट्रायल संख्या 1191/2015 में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मधुबनी की अदालत द्वारा दिनांक 07.07.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह राय बनाई है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 420 के तहत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता है और तदनुसार, विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उक्त अपराध के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर ने प्रस्तुत किया कि यदि ओ.पी. संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत में दिए गए सभी कथनों को सत्य मान लिया जाए, तो भी याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि ओ.पी. संख्या 2 की शिकायत में उल्लिखित भूमि और मकान याचिकाकर्ता संख्या 2 की पैतृक संपत्ति है और शिकायतकर्ता (ओ.पी. संख्या 2) याचिकाकर्ताओं का रिश्तेदार है। यह स्वीकार

किया जाता है कि ओ.पी. संख्या 2 प्रासंगिक अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं के घर में किरायेदार के रूप में रह रहा था और उस समय उनके बीच अच्छे संबंध थे और कई अवसरों पर ओ.पी. ने याचिकाकर्ता संख्या 2 को पैसे अग्रिम दिए, लेकिन वह राशि उसे वापस कर दी गई और रुपये की वापसी की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में 29,61,000/- (रुपये उनतीस लाख इकसठ हजार) स्वीकार किए हैं। जब याचिकाकर्ता क्रमांक 2 का बड़ा भाई बहुत बूढा हो गया और उसे ओ.पी. क्रमांक 2 को किराए पर दिए गए भवन की आवश्यकता हुई, तो याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता से अपना मकान खाली करने का अनुरोध किया और उसके बाद ही ओ.पी. क्रमांक 2 ने उचित विचार-विमर्श के साथ शिकायत दर्ज करके झूठा मामला दर्ज कराया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि शिकायतकर्ता की कहानी पर विश्वास किया जाए और कानून की यह स्थापित स्थिति है कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन तब तक आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि चूककर्ता का लेनदेन की शुरुआत से ही दूसरे पक्ष को धोखा देने का इरादा है और वर्तमान मामले में, शिकायत में किए गए कथन कथित लेनदेन की शुरुआत से ही याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी भी बेईमान इरादे को नहीं दर्शाते हैं।इन दलीलों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:-

(i) **दलीप कौर एवं अन्य बनाम जगनार सिंह एवं अन्य (2009) 14 एससीसी 696** में रिपोर्ट किया गया और संबंधित पैराग्राफ संख्या। इस निर्णय की धारा 10 जिस पर भरोसा किया गया है, उसे इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:-

> "**10.** इसलिए, उच्च न्यायालय को यह प्रश्न पूछना चाहिए था कि क्या अपीलकर्ता की ओर से किसी प्रकार का प्रलोभन दिया गया है और क्या अपीलकर्ता का शुरू से ही उसे धोखा देने

का इरादा था। यदि पक्षों के बीच विवाद मूलतः एक दीवानी विवाद था जो अपीलकर्ताओं की ओर से अग्रिम राशि वापस न करने के कारण अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुआ था, तो यह धोखाधड़ी का अपराध नहीं बनता। दंड संहिता की धारा 405 में निहित इसकी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आपराधिक विश्वासघात के अपराध के संबंध में भी यही कानूनी स्थिति है। (देखें अजय मित्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2003) 3 एससीसी 11: 2003 एससीसी (क्रि) 703])"

(ii) **मुरारी लाल गुप्ता बनाम गोपी सिंह (2005) 13 एससीसी 699** और प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या में रिपोर्ट किया गया। इस निर्णय की धारा 6 जिस पर भरोसा किया गया है, को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"**6.** हमने पक्षों की दलीलों, शिकायत और विद्वान मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश के आदेशों का अवलोकन किया है। पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध कराई गई सभी सामग्री पर विचार करने और पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पूरी तरह से अनुचित है। शिकायत अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसलिए कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए। भले ही शिकायत में किए गए सभी कथन सही माने जाएं, फिर भी दंड संहिता की धारा 420 या धारा 406 के तहत अभियोजन का मामला नहीं बनता है। शिकायत में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी तरह की धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रलोभन दिया गया है। जिसके पैसे प्रतिवादी ने दे दिए। प्रतिवादी का यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास संपत्ति नहीं है या याचिकाकर्ता बेचने का समझौता करने में सक्षम नहीं था या वह प्रतिवादी को संपत्ति का मालिकाना हक हस्तांतरित नहीं कर सकता था। केवल इसलिए कि बेचने का

> समझौता किया गया था और याचिकाकर्ता ने उसका सम्मान नहीं किया, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को धोखा दिया है। धारा 420 या धारा 406 आईपीसी के तहत अभियोजन का कोई मामला प्रथम दृष्टया भी नहीं बनता है। प्रतिवादी द्वारा और वह भी मधेपुरा में याचिकाकर्ता, जो दिल्ली का निवासी है, के खिलाफ दायर की गई शिकायत, प्रतिवादी के साथ समझौता करने के लिए याचिकाकर्ता पर दबाव डालने का प्रयास प्रतीत होता है।"

4. दूसरी ओर, ओ.पी. संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमलेंदु शेखर ठाकुर ने इस याचिका का पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि धोखाधड़ी का कथित अपराध स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बनता है, क्योंकि विभिन्न चरणों में याचिकाकर्ता संख्या 2 ने ओ.पी. संख्या 2 के पक्ष में एक अचल संपत्ति की बिक्री के लिए एक समझौते के तथ्य को स्वीकार किया है और यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि ओ.पी. संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 के खाते में 29,61,000/- रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी, हालांकि, उक्त राशि को बाद में याचिकाकर्ताओं द्वारा वापस कर दिया गया था, लेकिन शेष राशि 15,00,000/- रुपये (पंद्रह लाख रुपये) जो ओ.पी. संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 को नकद दिए गए थे, वापस नहीं किए गए और इस प्रकार ओ.पी. को उनके घर को स्थानांतरित करने के नाम पर याचिकाकर्ताओं द्वारा धोखा दिया गया और याचिकाकर्ताओं का शुरू से ही ओ.पी. संख्या 2 को धोखा देने का बेईमान इरादा था।

5. दोनों पक्षों को सुना और आरोपित आदेश तथा संबंधित सामग्री का अवलोकन किया। ओ.पी. संख्या 2 द्वारा अपनी शिकायत में किए गए कथनों से, याचिकाकर्ताओं की ओर से मात्र एक दीवानी अपराध माना जा सकता है, भले ही ओ.पी. संख्या 2 द्वारा सुनाई गई पूरी कहानी सत्य मानी जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता

संख्या 2 और ओ.पी. संख्या 2 रिश्तेदार हैं और बेशक, संबंधित अवधि के दौरान, ओ.पी. संख्या 2 याचिकाकर्ता संख्या 2 के घर में किरायेदार के रूप में रह रहा था और शिकायत के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 2 के घर की बिक्री के लिए ओ.पी. संख्या 2 के पक्ष में दोनों पक्षों द्वारा एक समझौता किया गया था और इस संबंध में, निर्धारित विचार राशि का एक हिस्सा, रु. ओ.पी. संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ताओं को 29,61,000/- का भुगतान भी किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा ओ.पी. संख्या 2 को यह राशि वापस कर दी गई थी, इसलिए, यदि ओ.पी. संख्या 2 की कहानी पर विश्वास किया जाए तो ये तथ्य कथित लेनदेन की शुरुआत से ही याचिकाकर्ताओं की ओर से बेईमानी का इरादा नहीं दिखाते हैं। इसके अलावा, कथित समझौते के संबंध में ओ.पी. संख्या 2 द्वारा अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसे बहस के दौरान ओ.पी. संख्या 2 के लिए उपस्थित विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया गया है। इस न्यायालय का विचार है कि शिकायत दर्ज करके ओ.पी. संख्या 2 द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि ओ.पी. संख्या 2 का मामला यह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के पास प्रश्नगत संपत्ति पर कोई शीर्षक या अधिकार नहीं है या वे उक्त संपत्ति की बिक्री के लिए समझौता करने के लिए सक्षम नहीं थे या वे उक्त संपत्ति में शीर्षक ओ.पी. संख्या 2 को हस्तांतरित नहीं कर सकते थे, इसलिए, केवल इसलिए कि कथित बिक्री के लिए समझौते के परिणामस्वरूप कथित संपत्ति का बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं हुआ, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने ओ.पी. संख्या 2 को धोखा दिया है, इसलिए, आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* आकर्षित नहीं होता है। इस प्रकार, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए उपरोक्त आधारों में सार पाता है और यह मानता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया गया है और

याचिकाकर्ताओं को कथित अपराध के लिए मुकदमे के अधीन करना उनके लिए पूर्ण उत्पीड़न होगा और साथ ही अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, इसलिए, शिकायत मामले संख्या 9955/2014/1516/2014 में पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उठाए गए सभी आगे की कार्यवाही, यदि कोई हो, के साथ-साथ आदेश को रद्द किया जाता है।

6. परिणामस्वरूप, तत्काल आपराधिक विविध याचिका की अनुमति दी जाती है।

(न्यायमूर्ति, शैलेंद्र सिंह,)

मायनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।